# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 29/2018

क्यूम पुत्र इब्राहिम उम्र 63 वर्ष जाति व्यापारी निवासी वार्ड नं. 5 उस्मानियां मस्जिद के पास फतेहपुर जिला सीकर राज.

.....वादी

बनाम

1. अब्दुल रउफ पुत्र इब्राहिम
2. आबिदा पत्नी स्व0 सलीम
3. अबू बकर पुत्र स्व0 सलीम
4. ईरफान पुत्र स्व0 सलीम
5. गुलाम रब्बानी पुत्र स्व0 सलीम
6. साजिद पुत्र स्व0 सलीम
7. अब्बास पुत्र स्व0 सलीम
8. साजदा पुत्री स्व0 सलीम
9. सुमैया पुत्री स्व0 सलीम
   समस्त जाति व्यापारी गुचिया निवासीगण वार्ड नंकर 5 उस्मानियां मस्जिद के पास कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0
10. तहसीलदारजी फतेहपुर जिला सीकर राज0

.....प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र बाबत उदघोषणा, एवं राजस्व रिकार्ड में संशोधन अंतर्गत धारा 88 रा0का0अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता
श्री राजकुमार शर्मा– वादी
श्री मनोज छकड़ा – प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः– 15.03.2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 254/1 रकबा 2.28 हैक्टयर वाके कस्बा फतेहपुर में अवस्थित है उक्त आराजी भूमि को इस वाद पत्र में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी वादी की तन्हा कब्जे काश्त, अधिकार की पैत्रिक आराजी है जो वादी को पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त हुई है। जिस पर वादी का ही एक मात्र कब्जा व काश्त है जिस पर वादी ने चारों तरफ तारबन्दी अपने खर्चे से बना रखी है तथा वादग्रस्त भूमि पर पुख्ता कुआं का निर्माण भी अपने खर्चे से किया हुआ है तथा वादी विवादित भूमि पर रहने हेतु पुख्ता एक बड़ा कमरा झौपड़ीनुमा बना रखा है तथा हर साल काश्त करता आ रहा है।

उपरोक्त वादग्रस्त आराजी वादी के मरहूम पिता स्व0 इब्राहिम की थी, किन्तु सहवन से तथा गलती से 1/2 हिस्सा वादी के ताया युसुफ के नाम से भी खातेदारी बन गई जबकि असलियत में वादग्रस्त भूमि अकेले वादी के पिता इब्राहिम का था तथा इब्राहिम के तीन पुत्र थे जिनमें सबसे बड़ा वादी उसके पश्चात सलीम जिसका 18 माह पूर्व इन्तकाल हो गया है तीसरा पुत्र अब्दुल रउफ है तथा तीनों भाईयों ने आपसी सहमति से पारिवारिक समझौता पत्र लिखित से उक्त वादग्रस्त आराजी वादी के हक अधिकार में आया है।

राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी 1/2 हिस्सा इब्राहिम के नाम तथा 1/2 हिस्सा युसुफ के नाम दर्ज हो गई इसके पश्चात इब्राहिम की मृत्यु के पश्चात विरासत के आधार पर इब्राहिम के तीनों पुत्र वादी क्यूम, सलीम, अब्दुल रउफ के नाम बन गई तथा युसुफ की मृत्यु के पश्चात युसुफ के वारिसान के नाम खातेदारी बन गई जिनकी खातेदारी 1/2 हिस्से की बनाये जाने का दावा वादी का डिक्री किया जा चुका है और प्रतिवादी 1 स्वयं मौजूद है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 9 सलीम के वारीस है।

वादग्रस्त भूमि में वादी की माता, जैनब का नाम भी विरासत के आधार पर खातेदारी बनी है जबकि जैनब की मृत्यु आज से करीब 9 वर्ष पहले हो चुकी है इस कारण पारिवारिक सेटलमेंट के अनुसार वादग्रस्त भूमि समस्त वादी के हिस्से में आने से वादी अकेला समस्त वादग्रस्त भूमि का एक मात्र अधिकारी है तथा वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम बनवाने का हकदार है।

वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 से एक माह पूर्व कहा कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम बनवा दें किन्तु उन्होंनें इंकार कर दिया इस कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 254/1 रकबा 2.28है0 सम्पूर्ण वाके कस्बा फतेहपुर का खातेदार उदघोषित किया जावे तथा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

WBD Copy - Not Official

प्रतिवादीगा संख्या 1 से 9 के तथा रउफ व सलीम व जैनम के नाम बनी खातेदारी को निरस्त किया जावे व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड बनाया जावे।

मिसल मूर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 9 की ओर से श्री मनोज छकड़ा एड. ने वकालतनामा व इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गयी। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिकी किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी डिकी किया जाकर कस्बा फतेहपुर की भूमि खसरा नंबर 254/1 रकबा 2.28है0 में 1/2 हिस्सा वादी के नाम उदघोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम बनी खातेदारी निरस्त उदघोषित की जाती है तथा इस अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वादी को हिदायत दी जाती है कि उपपंजीयक तहसीलदार, फतेहपुर से स्टाम्प डयूटी की गणना करवाकर राशि जमा करवाने के उपरान्त आदेश की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पर्चा डिकी जारी हो।

(रेड मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीक.

निर्णय आज दिनांक 15.03.2019 को कैम्प कोर्ट फतेहपुर में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)